# निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
# वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
## पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 93/2022 | 3.3.2022 | 19/3/26 |

भीमसिंह पुत्र श्रीलाल, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर ——प्रार्थी

बनाम

1. केदार पुत्र स्व0 विशन, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
2. कलुआ पुत्र स्व0 विशन, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
3. निरी पुत्री स्व0 विशन, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
4. रेवतीलाल पुत्र स्व0 विशन, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
5. धनसिंह पुत्र स्व0 लच्छी, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
6. हरीसिंह पुत्र स्व0 लच्छी, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
7. सोमोती पत्नि स्व0 लच्छी, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
8. श्यामसिंह पुत्र श्रीलाल, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
9. दिनेश पुत्र श्रीलाल, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
10. मुनेश पुत्र श्रीलाल, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
11. कालिया पत्नि श्रीलाल, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
12. प्रेम पुत्री श्रीलाल, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
13. सुनीता पुत्री श्रीलाल, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
14. दुलारी पुत्री विशन, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
15. गोपाल पुत्र स्व0 सूका, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
16. दिनेश पुत्र स्व0 सूका, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
17. पिन्टू पुत्र स्व0 सूका, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
18. कमला पत्नि स्व0 सूका, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
19. नेतराम पुत्र स्व0 सपोट, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
20. भूरू पुत्र स्व0 सपोट, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
21. रमेश पुत्र स्व0 सपोट, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
22. राधेश्याम पुत्र स्व0 सपोट, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
23. पुष्पा पत्नि स्व0 सपोट, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
24. सुखराम पुत्र घसीड्या, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
25. सन्तरा पुत्री घसीड्या, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
26. हुकमसिंह पुत्र विशन, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
27. सन्तरा पुत्री विशन, माली निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
28. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.06 14:18:10 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :— श्री गोपाल लाल शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1,2,4,24 की ओर से

## निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0नं0 987 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 989 रकबा 0.17 है0 ग्राम वजीरपुर में स्थित है। यह भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने मौके पर मौखिक रूप से भूमि का बंटवारा किया हुआ है तथा उसी अनुसार भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। मौखिक बंटवारे में प्रार्थी को प्राप्त भूमि में आवागमन व कृषि यंत्र, हल–बैल व कृषि उपज को लाने ले जाने हेतु एकमात्र रास्ता ख0नं0 987 व 989 की डौल से होते हुए जाता है जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए ख0नं0 1001 में जाकर मिलता है। यह रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि में पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। उक्त रास्ते में होकर प्रार्थी अपने खेतों में आवागमन करते हैं। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई आवागमन का रास्ता मौजूद नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त आने जाने की रास्ते की भूमि को दबाकर प्रार्थी का रास्ता बन्द करना चाहते हैं। इस उद्‌देश्य को लेकर कुछ दिन पूर्व अप्रार्थीगण ने रास्ते में पक्की दीवार बनाना शुरू कर दिया जिसके सम्बन्ध में अन्य खातेदारान द्वारा न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने पर अप्रार्थीगण द्वारा काम रोका गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त दीवार बनाकर रास्ते को अवरूद्ध किया गया है जिससे प्रार्थी को अपने खेतों पर आने जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड रहा है, प्रार्थी अपने काश्तकारी अधिकारों का उपयोग उपभोग नही कर पा रहा है व प्रार्थी को अपनी भूमि तक हल–बैल, कृषि यंत्रों को लाने ले जाने व कृषि उपज को लाने ले जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है। अप्रार्थीगण ताकत के बल पर प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग से वंचित करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस कारण न्यायहित में उक्त लाल रंग से दर्शित भूमि को रास्ते की भूमि घोषित की जावे व अप्रार्थीगण द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया जावे, प्रार्थी नियमानुसार डी0एल0सी0 की दर से राशि जमा करवाने को तैयार है। दिनांक 11.12.2021 को पुनः रास्ता खोलनेव उक्त अवैध निर्माण को हटवाने बाबत् प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहा तो अप्रार्थीगण ने मना कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ख0नं0 987 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 989 रकबा 0.17 है0 ग्राम वजीरपुर में से होकर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाला रास्ता जो कि पूर्व में स्थित ख0नं0 1001 में जाकर मिलता है एवं जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है, उक्त भूमि को रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे व अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते की भूमि पर किए गए निर्माण को हटवाया जावे व रास्ते का खुलासा किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.06 14:18:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 5 लगायत 23, 25, 26, 27 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 24 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया है ।

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 24 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0 सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी भीमसिंह द्वारा ख0नं0 987, 989 में होकर रास्ता दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह भूमि सह खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी भीमसिंह के पिता श्रीलाल पुत्र घसीड्या का हिस्सा 1/6 है। सहखातेदारों के मध्य अभी तक भूमि का विभाजन नहीं हुआ है, बिना विभाजन के ही प्रार्थी भीमसिंह द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किया है जबकि बंटवारा रूल्स में यह स्पष्ट प्रावधान है कि सहखातेदारों के मध्य भूमि का विभाजन होते समय रास्ते को ध्यान में रखा जावेगा, ऐसी स्थिति में बंटवारे के समय ही रास्ता दर्ज किया जा सकता है बिना विभाजन के 251(ए) का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र 251(ए) बिना विभाजन चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 24 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रार्थी ने जबाब प्रस्तुत किया। अपने जबाब में प्रार्थी ने अंकित किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी0 किसी के खेत पर जाने के रास्ते को नहीं रोकती है न ही रास्ता खुलवाने को अवरूद्ध करती है। किसान को अपने खेतों पर जाने–आने के लिए रास्ता अत्यन्त आवश्यक है। यहां यह भी देखना आवश्यक है कि जब प्रार्थी भीमसिंह ने उसके हिस्से की भूमि में आने जाने के लिए रास्ते की मांग की तो अप्रार्थी केदार वगैरा ने अनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व भूमि पर कब्जा करने व रास्ते को बन्द करने के उद्देश्य से पक्की दीवार बनाना शुरू कर दिया जिसके सम्बन्ध में अन्य खातेदारों द्वारा न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने से काम रोका गया। इस परिस्थिति में प्रार्थी ने रास्ता खुलवाने हेतु व अतिक्रमण हटवाने हेतु धारा 251(ए) का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि भूमि का बंटवारा होने में काफी समय लगेगा तब काश्तकार को अपनी भूमि पर काश्त हेतु आने–जाने के लिए जमीनी रास्ता चाहिए। इस परिस्थिति में केदार वगैरा का प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी0 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर खारिज होने योग्य है जो खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sucha Rani Meena
Date: 2026.05.06 14:18:10 IST
Reason: Attested

प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी0 पर विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 24 के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि भूमि ख0नं0 987, 989 की खातेदारी अथवा सहखातेदारी प्रार्थी भीमसिंह के नाम दर्ज ही नहीं है बल्कि उसके पिता श्रीलाल का नाम इन खसरा नम्बरो में बतौर सहखातेदार हिस्सा

1/6 दर्ज है। भूमि का अभी विभाजन नहीं हुआ है एवं एक खातेदार ही रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है जबकि प्रार्थी भूमि का खातेदार ही नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251(ए) खारिज होने योग्य है।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपने खेतों पर जाने वाले वर्तमान प्रचलित रास्ते को अवरूद्ध कर रहे हैं एवं उन्होने इस रास्ते को बन्द करने के लिए दीवार बनाने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया जिसे अन्य सहखातेदारों द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध मुकदमा प्रस्तुत कर रूकवाया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार एक काश्तकार को अपनी भूमि पर आने जाने के लिए रास्ता होना आवश्यक है। धारा 151 सी0पी0सी0 इसको अवरूद्ध नहीं करती है। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी0 खारिज फरमाया जावे व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 ए स्वीकार फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी भीमसिंह की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2076 से 2079 खाता संख्या 741 ग्राम वजीरपुर में भूमि ख0नं0 987, 989 13 व्यक्तियों की सहखातेदारी में दर्ज है एवं इसमें प्रार्थी भीमसिंह का बतौर खातेदार व बतौर सहखातेदार नाम ही दर्ज नहीं है अर्थात भीमसिंह के नाम कोई कृषि भूमि ही दर्ज नहीं है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा धारा 251(ए) राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/3/26 को सुनाया गया।

( सुधारानी मीना )
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.06 14:18:10 IST
Reason: SelfAttested